रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 5, 2018/भाद्र 14, 1940
No. 335] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2018/BHADRA 14, 1940

IndiaCode

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2018

सं. PSB/STAFF/OSR/2018.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 और 12 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक** के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में आगे संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि पर लागू हो जाएंगे।

2. **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में विनियमन 6 के उप-विनियमन (2) के लिए, निम्न उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) उप अधिनियम (1) के अधीन पदों के वर्गीकरण के प्रयोजन हेतु बैंक की प्रत्येक शाखा को मानदंडों के अनुसार बैंक द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा जिसका बैंक के **बोर्ड** द्वारा अनुमोदन किया जाएगा"।

डी. एस. ग्रोवर, उप महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./213/18]

PUNJAB AND SIND BANK

(Head Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2018

No. PSB/STAFF/OSR/2018.—In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of the **Punjab & Sind Bank** in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments to the **Punjab & Sind Bank** (Officers') Service Regulations, 1982, namely:—

2. Short title and Commencement.—(1) These Regulations may be called the **Punjab & Sind Bank (**Officers') Service (Amendment) Regulations, 2018

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the **Punjab & Sind Bank** (Officers') Service Regulations, 1982, for sub-regulation (2) of regulation 6, the following sub-regulation shall be substituted, namely:

"(2) For the purpose of categorization of posts under sub-regulation (1) every branch of the Bank shall be classified by the Bank in accordance with criteria to be approved by the **Board** of the Bank."

D. S. GROVER, Dy. General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./213/18]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.11 13:32:02 +05'30'